झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— रा0खा0आ0 (विविध) 01/2022— 358

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :— 05.04.2022

विषय :— **खाद्य आयोग के अपीलवाद वाद संख्या—07/2021 NSK बोकारो बनाम जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बोकारो में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आयोग के प्रसंगाधीन अपीलवाद में माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव एवं श्री हलधर महतो द्वारा दिनांक—29.12.2021 को पारित आदेश में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो को यह निर्देश दिया था कि वे जिले में लाभुकों को अधिनियम की धारा—8 के तहत् खाद्य सुरक्षा की गणना कर भुगतान सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्रवाई से आयोग को दिनांक—30.01.2022 तक अवगत कराएँ।

आयोग के आदेश के आलोक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो ने अपने पत्रांक—105 दिनांक—28.01.2022 के माध्यम से आयोग को यह सूचित किया है कि THR के रूप में उपलब्ध कराया जाने वाला सामग्री विभाग द्वारा न तो उपलब्ध कराया गया था और न ही इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा—निर्देश दिया गया। आयोग, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक—105 दिनांक—28.01.2022 द्वारा भेजे गये स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए खारिज करता है। ऐसे में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो द्वारा भेजे गये स्पष्टीकरण की प्रति आपको भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आयोग के माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव एवं श्री हलधर महतो द्वारा अपीलवाद संख्या—07/2021 में दिनांक—29.12.2021 को पारित आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि आदेश का अनुपालन 15 दिनों के अन्दर किया जाय। निर्धारित अवधि में अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा—20 (2) के तहत् प्रदत्त प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यवहार न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ करने की कार्रवाई हेतु बाध्य होगा।

विश्वासभाजन

05/04/2022

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Chairman Sir new\letter.docx31

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261